न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या	प्रविष्टि दिनांक	निर्णय दिनांक
मैनुअल नं.45 / प्रा.पत्र / 2025 (GCMS No. 2025 / 148)	04.11.2025	05.01.2026

सुरेश खराड़ी आ. गुलाब खराडी जाति भील,
निवासी उमर थाना बहती बडौदिया,
तहसील रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र.)

– प्रार्थी

बनाम

सरकार जर्ये थानाधिकारी पुलिस थाना, हिण्डोली

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–A राज.गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनिमयन) अधिनियम 1995

उपस्थिति –
प्रार्थी की ओर से श्री जितेन्द्र कुमार जैन, एडवोकेट।
अप्रार्थी की ओर से राजकीय अभिभाषक।

निर्णय

यह कार्यवाही प्रार्थी द्वारा अन्तर्गत धारा 6–A राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनिमयन) अधिनियम 1995 के तहत इस न्यायालय में पेश की जाकर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर जप्तशुदा वाहन संख्या MP 43 G 4441 प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रविष्टि पंजिका क्रमांक 45 / 2025 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No.2025 / 148 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थी को वास्ते सुनवाई नोटिस जारी किया गया तथा केस डायरी पुलिस थाना रायथल से तलब की गई। थानाधिकारी, पुलिस थाना, हिण्डोली की ओर से प्रकरण सं. 225 / 2024 5, 6, 8, 9 राजस्थान गोवंश अधिनियम 1995 एवं धारा 11(1)(घ) पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बून्दी

तत्पश्चात मामलें में बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि पुलिस थाना हिण्डोली, जिला बून्दी द्वारा प्रार्थी के स्वामित्व, हक अधिकार एवं कब्जे का एक वाहन महिन्द्रा बोलेरो पिकअप रजिस्ट्रेशन नं0 MP 43 G 4441 को वजह सबूत जप्त कर रखा है। उक्त वाहन के कागजात जैसे वाहन का रजिस्ट्रेशन, वाहन मालिक प्रार्थी का आधारकार्ड की फोटोप्रतियां प्रार्थना पत्र के संलग्न पेश की हुई है। प्रकरण में पुलिस द्वारा तफ्तीश पूर्ण कर ली गई है तथा पुलिस को उक्त वाहन की वर्तमान में कोई आवश्यकता नहीं है। उक्त वाहन पुलिस थाना के खुले प्रांगण में खडा हुआ है जिससे वाहन के कलपुर्जे, टयूब टायर आदि मशीनरी के खराब होने का पूर्ण अन्देशा है। प्रार्थी ही उक्त वाहन का मालिक एवं स्वामी है जो सुपुर्दगी में लेने के लिए सक्षम व्यक्ति होने से न्यायालय के आदेशानुसार उचित सुपुर्दगीनामा व जमानतानामा प्रस्तुत करने को तैयार है। बाद सुपुर्दगी जब भी न्यायालय उक्त वाहन को तलब करेंगे, तब प्रार्थी समय समय पर न्यायालय में पेश कर देगा तथा समस्त शर्तो का प्रार्थी पूर्णतः पालना करेगा। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा दौराने बहस प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा वाहन को प्रार्थी को सिपुर्दगी में दिलाये जाने का निवेदन किया गया।

राजकीय अभिभाषक ने दौराने बहस कथन किया कि पुलिस जाप्ता दौराने गश्त दिनांक 07.05.2024 को हिण्डोली से हरणा मोड एनएच 52 पहुॅचा, तो मोबाइल पर सूचना मिली कि पेच की बावडी कट के पास ग्रामीणों व गौ सेवकों द्वारा गौवंश से भरी हुई पीकअप को रूकवा रखा है। उक्त पिकअप को चेक किया तो 10 नग नर बछड़े जो 2 साल से 3 साल तक की उम्र के है, जो पिकअप में निर्दयता पूर्वक ठूस ठूस कर भरे हुये है, कई बछडे तो घायल अवस्था में बांधें हुये है व गौवंश की गर्दन एक–दूसरे के उतर पडी हुई है। वाहन में चारे पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। उक्त गौवंश को बध करने के उद्देश्य से परिवहन किया जाना पाये जाने से गौवंशों को अस्थायी रूप से मां बिजासन गौशाला देवली जिला टोंक में सिपुर्द किया गया तथा वाहन जप्त कर थाना में रखा गया। तहरीरी रिपोर्ट पर मुकदमा नं.225/2024 5, 6, 8, 9 गोवंश अधिनियम, 11(1)(घ) पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम दर्ज कर अनुसंधान किया गया। जिस पर अपराध प्रमाणित पाया जाने पर चालान आदेश वृत्ताधिकारी, वृत्त के.पाटन से प्राप्त कर नतीजा जर्ये चार्जशीट क्रमांक 268 दिनांक 17.09.2025 को कता कर मूल पत्रावली में दिनांक 26.09. 2025 को न्यायालय श्रीमान एसीजेएम हिण्डोली में पेश किया जा चुका है। अतः अभियोग संख्या 225/2024 पर जप्तशुदा उक्त वाहन को नियमानुसार रिलीज करने में कोई आपत्ति नहीं है।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बून्दी

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं पुलिस थाना हिण्डोली से प्राप्त तथात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। जिससे जाहिर आया कि बिना चिकित्सक परीक्षण रिपोर्ट व बिना सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा के वाहन पिकअप में ठूस–ठूस कर क्रूरतापूर्वक कुल 10 नर गोवंश (बछडे) को भरकर ले जाते पाया गया है। जिस पर पुलिस थाना हिण्डोली द्वारा मुकदमा संख्या 225/2024 दिनांक 07.05.2024 पर प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई। उक्त वाहन महिन्द्रा बोलेरो पिकअप रजिस्ट्रेशन नम्बर MP 43 G 4441 चेसिस नं. MA1ZN2 TNKL5G11478 का मालिक सुरेश खराडी आ. गुलाब खराडी जाति भील निवासी ग्राम उमर थाना भाटी बडौदिया, तहसील रतलाम जिला रतलाम (म0प्र0) होना आर.सी. दिनांक 22.08.2020 से प्रकट है। प्रार्थी ने प्रकरण में जब्तशुदा वाहन बाबत तफ्तीश पूर्ण हो जाना बताते हुये वाहन थाना परिसर में खुले में खडा होने से वाहन के कलपुर्जे, टयूब टायर आदि मशीनरी के खराब होने का अंदेशा जाहिर करते हुये सुपुर्दगी में दिये जाने का निवेदन किया है। ऐसे में सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनिमयन) अधिनियम 1995 की धारा 6–ए अनुसार जप्तशुदा वाहन पिकअप रजिस्ट्रेशन नम्बर MP 43 G 4441 को वाहन मालिक की सुपुर्दगी में 10 लाख के जमानतनामा व इसी कदर के सुपुर्दगीनामा पर देने का आदेश निम्न शर्तो की पालना के अध्यधीन दिया जाता है :–

1. वाहन को रहन/बेचान नहीं करेगा।
2. बीमा अवधि समाप्त होने के पूर्व वाहन का बीमा रिन्युअल करवायेगा।
3. वाहन का रंगरोगन परिवर्तित नहीं करेगा।
4. जब भी न्यायालय वाहन को तलब करेगा, अपने खर्चे पर साक्ष्य हेतु पेश करेगा

आदेश आज दिनांक 05.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला मजिस्ट्रेट बून्दी